प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 19 सितम्बर, 2017

विषय: राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109 एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 से 19 दिसम्बर, 2017 (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) तक निर्माता कम्पनी के फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में सिमुलेटर पर इन्स्ट्रूमेंट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-180/ना0उ0वि0/आप्स-डी0के0एस0/2016, दिनांक 11 जुलाई, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109 एस पर निर्माता कम्पनी के फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में सिमुलेटर पर कै0 दिनेश श्रीवास्तव को इन्स्ट्रूमेंट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग पूर्ण कराये जाने हेतु शुल्क भुगतान के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाना है। अत: राज्यपाल महोदय प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रूपये 10,58,250/- (रूपये दस लाख अठ्ठावन हजार दो सौ पचास मात्र) तथा विदेश यात्रा पर होने वाला व्यय रूपये 2,73,575/- (रूपये दो लाख तिहत्तर हजार पॉच सौ पचहत्तर मात्र) अर्थात् कुल रूपये 13,31,825/- (रूपये तेरह लाख इकतीस हजार आठ सौ पच्चीस मात्र), के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि में से 14110 यूरो जो भारतीय मुद्रा में रूपये 75/- प्रति यूरो के विनिमय दर से रूपये 10,58,250/- (रूपये दस लाख अठ्ठावन हजार दो सौ पचास मात्र) होता है को प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व निर्माता कम्पनी के फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को वायर ट्रांसफर के द्वारा अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।

3- उक्त अग्रिम रूपये 13,31,825/- (रूपये तेरह लाख इकतीस हजार आठ सौ पच्चीस मात्र) का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: ए-1-2774/दस-15(1)/69 दिनांक 25-10-1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10-06-2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

4- निर्माता कम्पनी के फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को तत्समय के विनिमय दर से भुगतान करने के पश्चात जो भी धनराशि अवशेष रह जायेगी, उसे मार्जिन मनी एकाउन्ट में जमा कर दिया जाय।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त स्वीकृत धनराशि में से नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान तत्समय के दर से करने के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: एफ0ए0-1-314/दस-2017, दिनांक 19 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0सं0-73/2017/918(3)/छप्पन-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35वी-। विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6. सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. सम्बन्धित अभियन्तागण।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।